भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA
(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय)
(MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

टेलीफैक्स/ Telefax +91-135-2744064, 2743331
वेबसाईट/ Website www.surveyofindia.gov.in
ई-मेल/ E-mail sgo.e1.soi@gov.in

भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
SURVEYOR GENERAL'S OFFICE
हाथीबड़कला एस्टेट डाक बक्स सं०-37
HATHIBARKALA ESTATE, P.B. – 37
देहरादून–248001 (उत्तराखण्ड) – भारत
DEHRADUN-248001 (UTTARAKHAND) INDIA

पत्रांक स्था०1-6946/ 579-अधिकारी सर्वेक्षक **दिनांक: 16 दिसम्बर, 2025**

सेवा में,

सभी अपर महासर्वेक्षक/ निदेशक एवं विंग प्रभारी |

विषय: **भारतीय सर्वेक्षण विभाग में अधिकारी सर्वेक्षक पद हेतु भर्ती नियम-2025 की अधिसूचना के परिचालन से संबंधित |**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग में अधिकारी सर्वेक्षक पद हेतु भर्ती नियम-2025 की अधिसूचना को परिचालन एवं सूचनार्थ भारतीय सर्वेक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है |

संलग्न: यथोपरि |

Signed by Deepak C R Karki
Date: 16-12-2025 11:24:40

(डी०सी०आर० कार्की)
स्थापना एवं लेखा अधिकारी (स्थापना)
महासर्वेक्षक का कार्यालय
ई-मेल: dcrk.soi@gov.in
फोन न० 0135-2747051 (Extn. 5021)

प्रतिलिपि:

1. सचिव, भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) टेक्नोलॉजी भवन, नया महरौली मार्ग, नई दिल्ली (Kind Attention: Ms. Anupama, Under Secretary, SMP) को उनके पत्र सं० SM/02/13/2018 dated 12-12-2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित |
2. तकनिकी सचिव/ स्थापना एवं लेखा अधिकारी 'प्रशासन'/ 'कैरियर प्रगति'/ 'बजट'/ 'स्थापना' (म०स०का०) को सूचनार्थ प्रषित |
3. प्रभारी, वेबसाइट प्रबंधक (म०स०का०)-for uploading of the Officer Surveyor Recruitment Rules- 2025 on SoI Departmental Website.
4. वरिष्ट निजी सचिव, भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित |

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12122025-268438
CG-DL-E-12122025-268438

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 800]	नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 9, 2025/अग्रहायण 18, 1947
No. 800]	NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 9, 2025/AGRAHAYANA 18, 1947

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 886(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय सर्वेक्षण अधिकारी सर्वेक्षक नियम, 2000 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन भारतीय सर्वेक्षण में अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सर्वेक्षण, अधिकारी सर्वेक्षक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स का स्तर.- उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है अथवा अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अधिकारी सर्वेक्षक।	474* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सिविल सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-8 (47600-151100 रु.)। टिप्पण.- अधिकारी सर्वेक्षक को उस ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 में गैर-कार्यात्मक वेतन स्तर (53100-167800 रुपये) स्वीकार्य होगा।	चयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपये) में सर्वेक्षक, जिन्होंने इस ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविहित सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा: केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी जिन्होंने,- (क)(i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद दो वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखने वाले: (i) सिविल या भू-सूचना विज्ञान या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से गणित या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री;	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. भारत के महासर्वेक्षक, -अध्यक्ष; 2. संबंधित निदेशक या उप सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य; 3. उप महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय -सदस्य; और 4. भारत के महासर्वेक्षक द्वारा नामित निदेशक (चक्रानुक्रम से) -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

E-1-579042/1/2020-E1-SGO I/160930/2025

और (ii) सर्वेक्षण या मानचित्रण या भू-स्थानिक डोमेन के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। टिप्पण 1.- फीडर श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. एसएम/02/13/2018]

संजय कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2025

G.S.R. 886(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Survey of India, Officer Surveyor Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Officer Surveyor in Survey of India under the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Survey of India, Officer Surveyor (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Officer Surveyor.	474* (2025) *Subject to the variation dependent on workload.	Central Civil Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-8 (Rs.47600-151100). Note.- The non-functional pay level of (Rs. 53100-167800) in level-9 of the pay matrix is admissible to Officer Surveyor on completion of four years of regular service in the grade.	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, If any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
By promotion: Surveyor in level-6 (Rs.35400-112400) of the pay matrix with six years of regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training in the relevant field as prescribed by the Competent Authority. Note .- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Surveyor General of India -Chairperson; 2. Director or Deputy Secretary concerned in the Department of Science and Technology - Member; 3. Deputy Surveyor	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

By deputation (including short term contract): Officer of Central or State Government or Union territories administration or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research institutions,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years of service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 (Rs.44900-142400) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualification and experience: (i) Bachelor's degree in Engineering in Civil or Geo-Informatics or Computer Science or Information Technology or Electronics; or Bachelor's degree in Mathematics or Electronics or Computer Science or Information Technology from a recognised university or institution; and (ii) having two years of experience in the field of Surveying or Mapping or Geospatial domains. Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2.- The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years, as on the closing date of receipt of applications.	General, Surveyor General's Office - Member; and 4. Director (by rotation) to be nominated by the Surveyor General of India - Member.	

[F. No. SM/02/13/2018]

SANJAY KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.12.12 11:22:40 +05'30'